न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 108/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री देवा पुत्र श्री चतरा रेबारी उम्र वयस्क
2. श्री बहादुर पुत्र श्री देवा रेबारी उम्र वयस्क
3. श्री सौदान पुत्र श्री देवा रेबारी उम्र वयस्क
4. श्री गणपत पुत्र श्री बक्सा रेबारी उम्र वयस्क

निवासीयान अमरपुरा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज0

–अपीलांट

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 12/2015 आदेश दिनांक 21.05.2015

उपस्थित अभिभाषकः–श्री रमेश चन्द सारास्वत(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः– अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा के आराजी नम्बर 377/348 रकबा 116 बीघा 3 बिस्वा भूमि किस्म बंजर बिलानाम में 3 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। यह जानकारी पटवारी हल्का जलीन्द्री द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करने पर अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार बिजौलिया द्वारा धारा 91 के तहत प्रकरण(प्रकरण संख्या 905/2014) दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की गई।

उक्त प्रकरण में दिनांक 16.12.2014 को तहसीलदार बिजौलिया द्वारा निर्णय सुनाते हुए अपीलांट को तीन महिने के सिविल कारावास बेदखली एवं जुर्माने के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

तहसीलदार के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर भीलवाड़ा के सम्मुख प्रस्तुत की गई। उक्त अपील संख्या 12/2015 में सुनवाई के बाद जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील(122/2015) न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दर्ज करवायी गई। उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 विभाग अधिसूचना क्रमांक 1(17)रेव–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 75 के अंतर्गत दिनांक 17.12.2019 को स्थानांतरित की गई। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को 108/2020 नम्बर पर दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस जारी किये गये।

अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:57 IST
Reason: SelfAttested

1. मौके पर कोई नाड़ी नही है और ना ही राजस्व रिकोर्ड में नाड़ी दर्ज है तथा पशुओं के आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

2. पश्चातवृती अतिक्रमण प्रमाणित नही है।

3. मात्र पटवारी के बयान लिये गये।

4. अपीलार्थी जाति से रेबारी होकर अधिकतर समय गांव व क्षेत्र से बाहर रहते है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमण को स्थायी माना जाना गलत है। अपील स्वीकार की जायें तथा सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण पशुपालक काश्तकार है तथा सिविल कारावास की स्थिति में उनका पशुधन एवं कृषि बर्बाद हो जायेगी। अतः सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 21.05.2015 तथा तहसीलदार बिजौलियां के प्रकरण संख्या 905/2015 अन्तर्गत धारा एल0आर0एक्ट के निर्णय की प्रोसिडिंग की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की। अपील दर्ज होने के बाद रेस्पो0 को नोटिस जारी करके अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अपीलांट वकील ने बताया कि 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही के दौरान अपीलांट के विरूद्ध एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया था जो तकनिकी रूप से उचित नहीं है। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने निर्णय में 3 बीघा भूमि पर बाड़े होना बताया है तथा यह भी बताया है कि पिछले वर्ष भी बेदखली की गई थी। सार्वजनिक नाड़ी पर अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा बताया गया। मगर राजस्व रिकोर्ड में नाड़ी दर्ज नहीं है। ग्रामवासीयों की शिकायत पर उक्त कार्यवाही की गई है। बाड़े अस्थायी अतिक्रमण है। राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि बंजर भूमि है। पानी नही भरता है तथा सम्पूर्ण ग्रामवासियो के बाड़े बने हुए है। तकनिकी रूप से प्रत्येक अतिक्रमी को अलग–अलग नोटिस जारी किया गया था। अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य नहीं है। पश्चातवृर्ति अतिक्रमी होना सिद्ध नही हुआ है। पर्चा मौका पटवारी बयान एक्जीबीट होने चाहिए थे। बयान बेदखली का भी एक्जीबीट होना आवश्यक है। हमारा वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने पर सिविल कारावास की सजा नही देने पर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश है। वकील अपीलांट द्वारा 2015 आरआरटी पार्ट 1 पेज 200 का उल्लेख किया है। इसमें 3 वर्ष बाद खातेदारी देने की बात कही गई है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु को देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 का है तथा अपीलांटस द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा के रीडर को अपील दिनांक 24.07.2015 को प्रस्तुत कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा निर्णित प्रकरण 905/2014 का अवलोकन किया गया। अपीलांट अतिक्रमी पृथक–पृथक परिवारों से है। देवा का पिता चतरा है। बहादुर, सोदान का पिता देवा है तथा गणपत का पिता बक्सा रेबारी है। रिपोर्ट पटवारी प्रकरण संख्या 905/14 के अनुसार खसरा नम्बर 377/548 में 3071 में अपीलांट अतिक्रमियों द्वारा तीन बीघा भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। कैफियत में यह अंकित किया हुआ है, अतिक्रमी को गत मिशल नम्बर 614/13 से बेदखल कर पुनः अतिक्रमण किया है। उक्त पटवारी रिपोर्ट के बाद तहसीलदार बिजौलियां द्वारा अतिक्रमियों को दिनांक 18.11.2014 को बिजौलियां उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर गणपत अंकित है तथा यह लिखा है कि महोदय जी बाद तामील पेश हुई। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:57 IST
Reason: SelfAttested

18.11.2014 को बहादुर, गणपत, सोदान और देवा न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां में उपस्थित हुए तथा पटवार हल्का के बयान लिये गये। पटवार हल्का पटवारी महावीर प्रसाद शर्मा ने अपने बयान में बताया कि अतिक्रमियों ने मौके पर बाड़े बना रखे है तथा कहते है कि बाड़े नहीं हटायेगे तथा पूर्व निर्णित प्रकरण 614/13 का उल्लेख किया गया। जिसमें अतिक्रमियों की बेदखली बाबत कथन किये है तथा यह कहा है कि अतिक्रमी ने इस वर्ष पुनः अतिचार किये है तथा मौके पर नाड़ी होना बताया है और अतिक्रमण की वजह से जनाक्रोस होना बताया है। ग्रामवासीयों की शिकायत दिनांक 14.09.2015 का अवलोकन किया गया है। उसमें चरागाह विकास समिति व प्रभुलाल बलाई तथा देवा रेबारी के बीच विवाद के बारे में जिक्र किया है तथा अंत में यह लिखा है कि अभियुक्त प्रभुलाल बलाई के हौसले बुलंद है। अतः अभियुक्त का चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। ग्रामवासीयों द्वारा उक्त शिकायती पत्र उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को प्रस्तुत किया गया। जिस पर उन्होने तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 17.09.2014 को प्रस्तुत किया था।

पूर्व प्रकरण संख्या 614/13 का अवलोकन किया गया। बेदखली पर्चा दिनांक 21.02.2014 का है। जिसमें चारों अतिक्रमी अपीलांट के नाम दर्ज है। उक्त बेदखली पर्चा प्रिटेंड फॉर्म में है। जिसमें खाली स्थानों पर आवश्यक एंन्ट्री कर दी गई है। जिसमें सोदना पिता देवा रेबारी उपस्थित पाया गया तथा बेदखल किया जाकर घोषणा करके भूमि को सरकार में लिया जाना अंकित किया हुआ है। बेदखली पर्चा के अंत में तीन लोगों की अंगूठा निशानीयां दर्ज है। सोदान अपीलांट तथा दो अन्य लोगों की अगूठा निशानीयां मोतीलाल व कैलाश दर्ज होना दृष्टिगोचर है।

बेदखल पर्चा से स्पष्ट है कि मौके पर कोई वास्तविक कार्यवाही न कर पेपर कार्यवाही की गई है। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने निर्णय में स्वतंत्र गवाहों मोतीलाल और कैलाश के बयान नही लिये है तथा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2014 पारित किया है। जो उचित नहीं है। ऐसे कठोर निर्णय के लिए स्वतंत्र गवाहों के बयान आवश्यक थे।

जब अपीलांट अतिक्रमी अलग–अलग परिवारों के थे तो उन्हें नोटिस पृथक–पृथक रूप जारी करने चाहिए थे तथा प्रत्येंक अतिक्रमी की अलग–अलग मिशल कायम की जाकर निर्णय किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। राजस्व रिकोर्ड में भूमि की किस्म बंजर बतायी गई है तथा राजस्व रिकोर्ड में नाड़ी दर्ज नहीं होना स्पष्ट है। तहसीलदार द्वारा निर्णय एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिया गया है।

पटवारी हल्का ने तहसीलदार न्यायालय के समक्ष फर्द बेदखली की फोटोप्रति पेश की थी। अपने बयान में पटवारी एक जगह यह कहता है कि स्वयं अतिक्रमी ने उपस्थित होकर मौखिक जवाब पेश किया है कि हमारा पुराना अतिक्रमण है। हमने मौके पर बाड़े बना रखे है तथा हम अतिक्रमण नहीं हटायेगें। पटवारी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ग्रामवासीयों की शिकायत पर भी सिर्फ दो व्यक्तियों के नाम बताये गये है–देवा रेबारी एवं प्रभुलाल बलाई। पटवारी द्वारा अपने बयान में पी–14 का रिकोर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। सरसरी तौर पर कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है। मौके पर जब अतिक्रमण नहीं है तो सिविल सजा के कारावास की कठोर सजा को अपीलीय न्यायालय द्वारा बहाल रखा जाना उचित नहीं है। अतः न्यायालय [illegible]त समझता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में सिविल कारावास की सजा को अपा[illegible] कर दिया जाये। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश में दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार बिजौलियां प्रकरण संख्या 905/14 अन्तर्गत एल0आर0एक्ट की धारा 91 निर्णय दिनांक 16.12.2014 एवं प्रथम अपील प्रकरण संख्या 12/2015 निर्णय दिनांक 21.05.2015 द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अपीलांटस को दी गई तीस दिवसीय सिविल कारावास की सजा की हद तक निर्णयों को अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक.....29.03.2023.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:57 IST
Reason: SelfAttested